Medical Science (RIMS) Hospital Lamphelpat, Manipur; and

(b) if so, the reasons for the Centre not alloting the quotas of rice, sugar, K. Oils and edible oils for the hospital of RIMS?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Yes Sir.

(b) The Central Government make allocation of rice, wheat sugar, kerosene and edible oil in bulk to the State/Union territories as a whole. Specific allocation to any organisation or institution of the State/UT is not made. The allocation and distribution within the State/UT is carried out by the State Government/UT Administration.

आयातित पामोलीन तेल में मिलावट

1447.**श्री ईश दत्त यादव:**
प्रो॰ रामगोपाल यादव:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन द्वारा आपूर्ति किए गए आयातित खाद्य तेल पामोलीन में मिलावट है;

(ख) क्या सरकार ने उस विभाग में कोई निरीक्षण किया है जहां इस तेल की पैकिंग करते हैं, यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट के क्या परिणाम निकले हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या पूर्व में भी पैकिंग विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गई और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन द्वारा मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर, कानपुर, बंगलौर और चेन्नाई में तेल की पैकिंग की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां पर हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेलों की पैकिंग की जा रही है, से इस तेल में मिलावट की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक दिल्ली इकाई का संबंध है, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ने तेल के नमूने लिये हैं और किसी भी नमूने में कोई मिलावट नहीं पाई गई है।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन द्वारा तेल की पैकिंग

1448.**प्रो॰ रामगोपाल यादव:**
श्री रमा शंकर कौशिक:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन में खाद्य तेलों की पैकिंग संबंधी जांच इस संबंध में जारी निर्देशों के बावजूद नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन की निगरानी

1450.**प्रो॰ रामगोपाल यादव:**
श्री रमा शंकर कौशिक:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन के विभिन्न विभागों/इकाइयों के कार्यकरण की निगरानी की जाती है;

(ख) क्या गत कई वर्षों से स्थानान्तरण/टेंडर, नियुक्ति, पदोन्नति और कंपनी के अन्य मामलों में मानकों व मानदंडों को नजरअंदाज किया जाता रहा है;

(ग) क्या इस उपक्रम के दागदार अधिकारियों के विरुद्ध 350 कर्मचारियों के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन को प्रधानमंत्री के कार्यालय में दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार तमाम हालातों एंव निगम को खस्ताहाल में डालने वाले अधिकारियों के खराब कारनामों को ध्यान में रखते हुये उनकी जिम्मेदारी तय करके क्या कार्वाई करने का विचार रखती है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) मंत्रालय द्वारा हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन के विभिन्न विभागों/इकाइयों की कार्यप्रणाली के समग्र निष्पादन की मानीटरिंग की जाती है।

(ख) टेंडर नियुक्ति अथवा पदोन्नति के मानदंडों का गंभीर रूप से उल्लंघन करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन अधिकारी कल्याण संघ से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिस पर कार्रवाई की गई है।

केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना

1450. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य वस्तुओं में मिलावट संबंधी समस्या से कारगर तौर पर निपटने के लिए देश के वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करने के संबंध में कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार आयोग की स्थापना करने के लिए क्या निर्णय लेने का विचार रखती है और कब तक?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (ग) दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि विभिन्न संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के 12 मंत्रियों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद का गठन किया जाए जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री हो अथवा कोई वरिष्ठ मंत्री हो। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Addition of Fruit Juice by soft Drink Makers

1451. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that France requires soft drink makers to add a certain percentage of fruit juice;

(b) whether it adds to the nutritive value of these drinks and also helps the fruit growers in a big way;

(c) whether Government would consider following the French example;

(d) if so, by when and to what percentage; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Ministry of Food Processing Industries has stated that, as per information available, it is mandatory in France to add a certain percentage of fruit juice for fruit based drinks but not for sweetened aerated waters.

(b) Under the Fruits Products Order and Prevention of Food Adulteration Act, there is a provision for adding a minimum 10 percent fruit juice or pulp in fruit based drinks. However, this cannot be made compulsory for sweetened aerated waters.

(c) to (e) There is no proposal to amend the distinct provisions of the Indian laws on the subject and it is not considered necessary follow the French Regulations.

भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार

1452. **श्री कपिल सिब्बल :** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता और लापरवाही के कारण होने वाले भारी नुकसानों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान ढांचे में भारी सुधार करना आवश्यक समझती है;